न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसलनम्बर	तारीखदायरा	तारीख निर्णय
40 / 2025 प्रा.पत्र / 2025	15.05.2025	26.06.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री शेखर चन्द जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन निवासी ज्योति कॉलोनी बस स्टैण्ड के पीछे देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड—304804 मोबाईल नं0 9214680514

2—मैसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड—304804

.......अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अभिभाषक अप्रार्थी श्री भागचन्द बैरवा उप0।

:—निर्णय—: दिनांक 26/6/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.11.2024 को समय 02:30 पी.एम. पर मैसर्सस्वास्तिक ट्रेडर्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री शेखर चन्द जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक पर खादय पदार्थ गुड, तेल, घी व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री शेखर चन्द जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री शेखर चन्द जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी व मसालों के साथ—साथ दुकान

अतिरिक्त जिला ... अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

के गोदाम में लगभग 40 कार्टून मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक कार्टून में 5–5 लीटर के 4–4 नग पैक **मूंगफली तेल (एसपीओके स्वास्तिक ब्राण्ड)**रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री शेखर चन्द जैन पुत्र श्री सूरजमल जेन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेताश्री शेखर चन्द जैन पुत्र श्री सूरजमल जेन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि 40 कार्टून मूलपैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक में 5–5 लीटर के 4–4 नग पैक में से एक कार्टून खोलकर में से 5लीटर जार **मूंगफली तेल (एसपीओके स्वास्तिक ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर पी 03 एवं पैकिंग की दिनांक नवम्बर 2024 थी, **मूंगफली तेल (एसपीओके स्वास्तिक ब्राण्ड)** में से 1600 ग्रामवास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मूंगफली तेल (एसपीओके स्वास्तिक ब्राण्ड)** 1600 ग्राम को 4 साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में बराबर–बराबर भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये, (प्रत्येक शिशी 400–400 ग्राम) ,अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4192 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4192 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की। शेष बचे खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल एसपीकेओ स्वास्त्कि ब्राण्ड कुल मात्रा 798.4 लीटर को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार सीज कर श्री शेखर चन्द जैन की सुरक्षित अभिरक्षा में सम्भलवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री शेखर चन्द जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी उक्त खाद्य पदार्थ का कोई खरीद बिल उपलब्ध नही करवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1605 दिनांक 23.12.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल.एस/5054/एक्ट/2024/4930 दिनांक 09.12.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मूंगफली तेल (एसपीओके स्वास्तिक ब्राण्ड)**खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(ZX) के अनुसार **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस**मूंगफली तेल (एसपीओके स्वास्तिक ब्राण्ड)**काविक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक(Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51(सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीको भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मूंगफली तेल (एसपीओके स्वास्तिक ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

कुल शास्ति रूपये 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि जब्तशुदा खाद्य पदार्थ का नियमानुसार निस्तारण करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/6/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक